

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 30 वर्ष 2014

आवेदक-महेन्द्र रजक

क्रेता- निशा देवी

ग्राम - चान्दो

ग्राम - चान्दो

थाना - पेटरवार

जिला-बोकारो

थाना - पेटरवार

जिला- बोकारो

आदेश की क्र०
सं० एवं तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख :
साथ।
03

02-06-17

आदेश

यह वाद आवेदक- महेन्द्र रजवार पिता स्व० चन्द्ररु धोबी उर्फ सोमरा धोबी ग्राम-चान्दो थाना-पेटरवार जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
चान्दो	55	15	897	38 डी०	05 डी०	आवासीय योग्य

को वे अपनी पुत्री की शादी खर्च हेतु मो० 45,000/- (पैंतालीस हजार) रुपये में क्रेता- निशा देवी पति ननकु रजक ग्राम चान्दो थाना-पेटरवार जिला - बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 344/रा० दिनांक 17.09.2014 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 416 दिनांक 14.07.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों धोबी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम चान्दो थाना पेटरवार जिला बोकारो का मूल एवं वर्तमान निवासी हैं।

02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में जगरनाथ मण्डल के नाम से दर्ज है तथा यह जमीन बिक्रेता की माँ शनिचरी देवी पति चन्द्ररु धोबी के नाम निबंधित केवाला सं० 4497 दिनांक 03.06.1969 से हासिल है तथा उसकी जमाबन्दी भी पंजी-II के पृष्ठ सं० 15/IV पर शनिचरी देवी के नाम चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2015-16 तक लगान रसीद निर्गत है।

03. प्रस्तावित भूमि गैर मजरूआ, भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता महेन्द्र रजक के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनकी माँ के नाम से निबंधित केवाला से हासिल है तथा उसकी जमाबन्दी भी उनकी माँ के नाम चल रही है। माँ के मरणोपरान्त घरेलू बँटवारा के तहत बिक्री वाली जमीन उनके हिस्से की है जिसपर उनका दखल कब्जा है तथा जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

c.c. 19/6/17
19/6/17

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- शनिचरी देवी के नाम निबंधित केवाला सं० 4497 दिनांक 03.06.1969, 34320 दिनांक 27.12.1972 तथा सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति।

02. क्रेता- स्वयं के नाम आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र तथा चान्दों का निवासी होने का शपथ पत्र की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष धोबी जाति के हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित जमीन बिक्रेता की माँ के नाम निबंधित केवाला से खरीदगी एवं बिक्रेता के अंश की जमीन है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक- महेन्द्र रजवार पिता स्व० चन्दरू धोबी उर्फ सोमरा धोबी ग्राम-चान्दो थाना-पेटरवार जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
चान्दो 55	15	897	38 डी०	05 डी०	P.C.Cरोड	बिक्रेता नीज	मुरली नायक वेगै०	जटु रजक

(पाँच) डीरिमल मात्र।

मो० 45,000/- (पैंतालीस) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता निशा देवी पति ननकु रजक ग्राम चान्दो थाना-पेटरवार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।